भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1821

जिसका उत्तर 29 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

कोयला विनिमय नियमावली

1821. श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 'कोयला विनिमय नियमावली, 2026' की मुख्य विशेषताओं तथा देश में विनिमय कोयला विनमय को आरंभ करने के लिए प्रस्तावित समय-सीमा का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने यह आकलन किया है कि कोयला विनिमय द्वारा पारदर्शी मूल्य खोज में सुधार करने, अपारदर्शी द्विपक्षीय अनुबंधों पर निर्भरता कम करने तथा गैर-विनियमित क्षेत्र के छोटे और मध्यम उपभोक्ताओं को कोयले की बेहतर सुलभता प्रदान किए जाने की कितनी संभावना है; और

(ग) कोल इंडिया लिमिटेड सहित प्रमुख कोयला उत्पादकों की पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित करने तथा एक क्षेत्र में अधिशेष कोयला भण्डार से देश के अन्य हिस्सों में कमी को पूरा करने के लिए क्या उपाय प्रस्तावित हैं?

उत्तर

कोयला एवं खान राज्य मंत्री

(श्री सतीश चन्द्र दुबे)

(क) : कोयला मंत्रालय द्वारा दिनांक 04.06.2026 को खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 18ख के तहत अधिसूचित कोयला विनिमय नियमावली, 2026, कोयले या लिग्नाइट और इसके प्रसंस्कृत रूपों के पारदर्शी और कुशल व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा स्थापित करती है।

कोयला विनिमय नियमावली, 2026 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

i. कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) पात्रता मानदंड, पंजीकरण की प्रक्रिया, शुल्क और प्रभार, निवल मूल्य, स्वामित्व संरचना और कोयला विनिमय नियमावली, 2026 में अन्य

बातों के साथ-साथ विनिर्दिष्ट अभिशासन संरचना के अनुसार कोयला विनिमय (विनिमयों) को पंजीकृत और विनियमित करने वाला प्राधिकरण है। प्राधिकरण केंद्र सरकार के परामर्श से संचालन प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट कर सकता है और दिशानिर्देश जारी कर सकता है।

ii. कोल एक्सचेंज को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां कोयले और इसके प्रसंस्कृत रूपों के खरीदार और विक्रेता, लेनदेन, व्यापार और ऐसे प्लेटफॉर्म पर अनुबंध करते हैं।

iii. प्राधिकरण विनिमय पंजीकरण का मूल्यांकन, अनुदान, नवीनीकरण और रद्द करेगा, साथ ही पंजीकरण के समय निकास स्कीमों को मंजूरी देगा।

iv. प्राधिकरण बोली और मूल्य खोज तंत्र, लेनदेन की समय-सारिणी और वितरण, वितरित कोयले की गुणवत्ता, बोली प्रकार, लेनदेन शुल्क की सीमा, उप-नियमों और प्रचालन प्रक्रियाओं के संबंध में अनुबंध विनिर्देशों को मंजूरी देकर प्रशासनिक नियंत्रण का प्रयोग करेगा।

v. प्राधिकरण बाजार में हेरफेर, गुटबंदी, अनधिकृत व्यापार और प्रभावशाली स्थिति के दुरुपयोग का पता लगाने और उसे रोकने के लिए बाजार की निगरानी जारी रखेगा। प्राधिकरण को कार्रवाई करने की शक्ति, अंतरिम आदेश जारी करने की शक्ति और नियमों के किसी भी प्रावधान के किसी भी उल्लंघन या गैर-अनुपालन की स्थिति में निरीक्षण की शक्ति दी गई है।

vi. कोल एक्सचेंज की स्थापना और प्रचालन कोयला आपूर्ति अनुबंध तैयार करने, ऐसे अनुबंधों के लेनदेन को सुविधाजनक करने, निष्पक्ष, पारदर्शी, तटस्थ, कुशल, मजबूत मूल्य खोज और प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने, अनुबंध की शर्तों के अनुसार कोयले की कुशल और समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्यों के साथ किया जाएगा। कोल एक्सचेंज एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम संचालित करेगा और अपने संचालन के लिए नेटवर्क संचार का उपयोग करेगा।

vii. कोल एक्सचेंज एक स्वतंत्र समिति द्वारा प्रबंधित एक निपटान गारंटी निधि (एसजीएफ) का प्रचालन करेगा, जिसमें कम से कम 50% अनुसूचित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास सुरक्षित/तरल लिखत सावधि जमा, ट्रेजरी बिलों और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया जाए।

viii. कोयला एक्सचेंजों में एक बाजार निगरानी समिति और एक निगरानी विभाग होगा जो लेन-देन की दिन-प्रतिदिन की निगरानी और चौकसी करेगा, बोलियों के लिए एक स्वचालित ऑडिट ट्रेल बनाए रखेगा, सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों का सुरक्षा ऑडिट निष्पादित करेगा, एक आपदा रिकवरी साइट का रखरखाव करेगा और आपात स्थिति में व्यापार की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक व्यापार सुविधा प्रदान करेगा।

ix. कोल एक्सचेंज में एक शिकायत निवारण फोरम होगा। प्राधिकरण किसी भी विशिष्ट शिकायत के निवारण के संबंध में कोल एक्सचेंज से जानकारी मांग सकता है।

विनियमित कोयला एक्सचेंज के संचालन के लिए अनुमानित समय-सीमा 15.07.2026 को खोले गए समर्पित ऑनलाइन आवेदन प्लेटफॉर्म पर कोल एक्सचेंज के पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 12 महीने है।

(ख) और (ग) : गैर-विनियमित क्षेत्र में छोटे और मध्यम उपभोक्ताओं सहित कैप्टिव और वाणिज्यिक खनिकों सहित कोई भी इकाई, कोयला एक्सचेंज (एक्सचेंजों) पर लेन-देन, व्यापार और वितरण-आधारित अनुबंध कर सकती है। कोल एक्सचेंज पर व्यापार या लेन-देन किए गए कोयले की कीमत का पता कोल एक्सचेंज द्वारा एक ऐसे तंत्र के माध्यम से लगाया जाएगा जो निष्पक्ष, तटस्थ, प्रतिस्पर्धी और कुशल मूल्य सुनिश्चित करता है। बोली और मूल्य खोज तंत्र प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार संचालित किया जाएगा। व्यापार किए गए कोयले की अंतिम कीमत को निष्पादित अनुबंध के मूल्य-समायोजन तंत्र और कोयला नमूना एजेंसी द्वारा जारी गुणवत्ता प्रमाणन के आधार पर व्यापार किए गए कोयले की गुणवत्ता के अनुसार समायोजित किया जाएगा। 'कोयला विनिमय नियम, 2026' में परिकल्पित बाजार निगरानी तंत्र और बाजार चौकसी कोयला एक्सचेंज इकोसिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए किसी भी बाजार में हेरफेर/दुरुपयोग को रोकेगी। सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला कंपनियां और गैर-विनियमित क्षेत्र के छोटे और मध्यम उपभोक्ता भी बाजार की भागीदारी बढ़ाने के लिए इस मंच का लाभ उठा सकते हैं।
